



दि जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, जयपुर

एफ-1, नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर

सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा

विषय सूची	
पैरा सं.	विवरण
	भाग I: लॉकर के लिए ग्राहक उचित सावधानी (सीडीडी)
1	ग्राहक उचित सावधानी
	भाग II: लॉकर आवंटन
2.1	मॉडल लॉकर करार
2.2	लॉकर किराया
	भाग III: अवसंरचना और सुरक्षा मानक
3.1	स्ट्रॉंगरूम/वॉल्ट की सुरक्षा
3.2	लॉकर मानक
	भाग IV: लॉकर संचालन
4.1	ग्राहकों द्वारा नियमित परिचालन
4.2	बैंकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण
	भाग V: नामांकन सुविधा और दावों का निपटान
5.1	नामांकन सुविधा
5.2	ग्राहक की मृत्यु के मामले में दावों का निपटान
5.3	सुरक्षित जमा लॉकरों में वस्तुओं तक पहुंच/सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामग्रियों की वापसी
	भाग VI: लॉकर बन्द करना और उसमें रखे वस्तुओं का निपटान करना
6.1	ग्राहक के अनुरोध पर लॉकर सामग्री का निपटान
6.2	किसी भी विधिक प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा लॉकर में रखे सामग्री और बैंक में सुरक्षित अभिरक्षा में रखी सामग्रियों की कुर्की और वसूली
6.3	लॉकर किराये का भुगतान करने के कारण बैंकों द्वारा लॉकर सामग्री का निपटान
6.4	लॉकर के लम्बे समय तक निष्क्रिय रहने पर लॉकर सामग्री का निपटान
	भाग VII: बैंकों के लिए मुआवजा नीति/दायित्व
7	बैंकों का दायित्व
7.1	प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, आंधी, बिजली आदि से उत्पन्न होने वाली या ग्राहक की स्वयं की लापरवाही के कारण बैंकों की देयता
7.2	आग, चोरी, संधमारी, लूट डकैती, इमारत ढहने जैसी घटनाओं या बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले में उत्पन्न होने वाली बैंकों की देयता
	भाग VIII: जोखिम प्रबन्धन, पारदर्शिता और ग्राहक मार्गदर्शन
8.1	शाखा बीमा नीति
8.2	ग्राहक द्वारा लॉकर सामग्री का बीमा
8.3	ग्राहक मार्गदर्शन और प्रचार
8.4	बोर्ड अनुमोदित नीतियां और एसओपी
	अनुबंध

भाग I: लॉकर के लिए ग्राहक उचित सावधानी (सीडीडी)

1. ग्राहक उचित सावधानी

1.1 बैंक के मौजूदा ग्राहक जिन्होंने लॉकर सुविधा के लिए आवेदन किया है और जो - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर अद्यतन किए गए अनुसार) के तहत सीडीडी मानदंडों का पूरी तरह से अनुपालन करते हैं, उन्हें सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा की सामग्री का निरंतर अनुपालन के अधीन सुविधाएं दी जा सकती हैं।

1.2 जिन ग्राहकों का बैंक के साथ कोई अन्य बैंकिंग संबंध नहीं है, उन्हें - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)निदेश, 2016 (समय-समय पर अद्यतन किए गए अनुसार) के तहत सीडीडी मानदंड का अनुपालन करने के बाद सुरक्षित जमा लॉकर / सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री निरंतर अनुपालन के अधीन सुविधाएं दी जा सकती हैं। लॉकर किराए पर लेने वाले सभी ग्राहकों, कोई भी अधिकार और क्षमता में हों, के लिए उचित सावधानी ली जाएगी।

1.3 बैंक लॉकर समझौते में एक खंड शामिल करेंगे कि लॉकर-किरायाकर्ता सुरक्षित जमा लॉकर में कुछ भी अवैध या कोई खतरनाक पदार्थ नहीं रखेगा। यदि बैंक को संदेह है कि किसी ग्राहक द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर में कोई अवैध या खतरनाक पदार्थ जमा किया गया है, तो बैंक को ऐसे ग्राहक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा जो उस परिस्थिति में उचित और सटीक लगे।

1.4 बैंक लॉकर-किराए पर रखने वाले(यों) और लॉकर के किराएदार(यों) द्वारा अधिकृत व्यक्ति(यों) के हाल के पासपोर्ट आकार की फोटो प्राप्त करेंगे जो लॉकर को संचालित करने और बैंक की शाखा में रखे जा रहे लॉकर-किराएदार से संबंधित रिकॉर्ड में संरक्षित करेंगे।

भाग II: लॉकर आवंटन

2. ग्राहकों को सूचित विकल्प चुनने की सुविधा के लिए, बैंक खाली लॉकरों की एक शाखावार सूची के साथ-साथ कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) में प्रतीक्षा सूची या लॉकरों के आवंटन और लॉकरों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा जारी साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप किसी अन्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को बनाए रखेंगे। बैंक लॉकर के आवंटन के लिए सभी आवेदनों की प्राप्ति की पावती देंगे और यदि लॉकर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो ग्राहकों को प्रतीक्षा सूची संख्या प्रदान करेंगे।

2.1 मॉडल लॉकर करार

2.1.1 सुरक्षित जमा लॉकरों के लिए बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित करार होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, बैंक आईबीए द्वारा तैयार किए जाने वाले मॉडल लॉकर करार को अपना सकते हैं। यह करार इन संशोधित अनुदेशों और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप होगा। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लॉकर समझौतों में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, बैंक के हितों की रक्षा के लिए करार की शर्तें व्यापार के सामान्य आवश्यकता से अधिक कठिन नहीं होंगी। बैंक 31 जनवरी 2023 (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत संशोधनीय) तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर करार का नवीनीकरण करेंगे।

2.1.2 किसी ग्राहक को लॉकर के आवंटन के समय, बैंक उस ग्राहक के साथ, जिसे लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती है, विधिवत स्टाम्प लगे कागज पर एक करार करना होगा। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दो प्रतियों में लॉकर करार की एक प्रति लॉकर-किराएदार को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए प्रस्तुत की जाएगी। मूल करार बैंक की उस शाखा के साथ रखा जाएगा जहां लॉकर स्थित है। सुरक्षित जमा लॉकरों के लिए मॉडल लॉकर करार का प्रारूप अनुलगनक -1 पर स्थित है।

2.2 लॉकर किराया

2.2.1 जहां लॉकर धारक न तो लॉकर संचालित करता है और न ही किराए का भुगतान करता है बैंक को संभावित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लॉकरकिराए का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, बैंक को आवंटन के समय एक सावधि जमा प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें तीन साल का किराया और ऐसी स्थिति में

लॉकर खोलने के शुल्क शामिल होंगे। हालांकि, बैंक मौजूदा लॉकर धारकों या संतोषजनक परिचालन खाते वाले लोगों से ऐसी सावधि जमा पर जोर नहीं देंगे। लॉकर सुविधा के आवंटन की पैकेजिंग के साथ सावधि जमाराशियों को उपर्युक्त विशेष रूप से अनुमत सीमा से अधिक रखने को एक प्रतिबंधात्मक प्रथा के रूप में माना जाएगा।

2.2.2 यदि लॉकर का किराया अग्रिम रूप से वसूल किया जाता है, तो ग्राहक द्वारा लॉकर के समर्पण की स्थिति में, एकत्र किए गए अग्रिम किराए की अनुपातिक राशि ग्राहक को वापस कर दी जाएगी।

2.2.3 यदि लॉकरों के भौतिक स्थानान्तरण की गारंटी देने वाली शाखा के विलय/बंद/स्थानान्तरण जैसी कोई घटना होती है, तो बैंक इस संबंध में दो समाचार पत्रों (स्थानीय भाषा में एक स्थानीय दैनिक सहित) में सार्वजनिक सूचना देगा और ग्राहकों को सुविधा बदलने या बंद करने के विकल्पों के साथ कम से कम दो महीने पहले सूचित किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं या ऐसी किसी अन्य आपात स्थिति के कारण अनियोजित स्थानान्तरण के मामले में, बैंक अपने ग्राहकों को यथाशीघ्र उपयुक्त रूप से सूचित करने का प्रयास करेंगे।

भाग III: अवसंरचना और सुरक्षा मानक

3.1 स्ट्रांगरूम/ वॉल्ट की सुरक्षा

3.1.1 बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे कि जिस क्षेत्र में लॉकर सुविधा स्थित है वह अपराधिक तोड़-फोड़ को रोकने के लिए उचित रूप से सुरक्षित है। संबंधित लॉकर धारक की भागीदारी के बिना किसी भी तरह से आवंटित लॉकर की पहुंच के जोखिम का आकलन किया जा सकता है और रिकॉर्ड में रखा जा सकता है। बैंकों में लॉकर रूम/वॉल्ट में प्रवेश और निकास का एक ही नियत मार्ग हो। जिस स्थान पर लॉकर रखे गए हैं, उसे बारिश/बाढ़ के पानी के प्रवेश के खतरे से बचाने और आकस्मिक परिस्थितियों में लॉकर को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाना चाहिए। क्षेत्र की आग जोखिमों का भी आकलन किया जाना चाहिए और उन्हें कम किया जाना चाहिए। बैंक, अपनी नीति के अनुसार, जोखिमों की पहचान करने और आवश्यक सुधार करने के लिए नियमित रूप से आवश्यक इंजीनियरिंग/सुरक्षा सत्यापन करें।

3.1.2 लॉकर रखने वाले क्षेत्र में प्रत्येक समय पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो बैंक अपने जोखिम मूल्यांकन के अनुसार एक्सेस कंट्रोल सिस्टम स्थापित करेंगे, जो किसी भी अनधिकृत प्रवेश को प्रतिबंधित करेगा और टाइम लॉग के साथ लॉकर रूम तक पहुंच का डिजिटल रिकॉर्ड बनाएगा। अपनी आंतरिक सुरक्षा नीति के अनुसार, बैंक सीसीटीवी कैमरे के तहत स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास और संचालन के सामान्य क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं और कम से कम 180 दिनों की अवधि के लिए इसकी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखें। यदि किसी ग्राहक ने बैंक से शिकायत की है कि उसका लॉकर उसकी जानकारी और अधिकार के बिना खोला गया है, या कोई चोरी या सुरक्षा उल्लंघन देखा गया है, तो बैंक पुलिस जांच पूरी होने और विवाद सुलझने तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखेगा।

3.1.3 सुरक्षा प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से प्रलेखित किया जाए और संबंधित कर्मचारियों को प्रक्रिया में उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए। आंतरिक लेखापरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन का सत्यापन और रिपोर्ट करेंगे कि प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाता है।

3.2 लॉकर मानक

3.2.1 बैंकों द्वारा स्थापित किए जाने वाले सभी नए यांत्रिक लॉकर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) या इस संबंध में लागू किसी अन्य उन्नत उद्योग मानकों द्वारा निर्धारित सुरक्षा और सुरक्षा के लिए बुनियादी मानकों / बेंचमार्क के अनुरूप होंगे।

3.2.2 इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक्सेस किए जाने वाले लॉकर की पेशकश करने वाले बैंकों को उपर्युक्त उद्योग मानकों को पूरा करने वाले ऐसे लॉकरों की बचाव और सुरक्षा सुविधाओं से पूरी तरह अवगत होना चाहिए। यदि लॉकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं, तो बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि सिस्टम हैकिंग या सुरक्षा के किसी भी उल्लंघन से सुरक्षित है। ग्राहकों का व्यक्तिगत डेटा, उनके बायोमेट्रिक डेटा सहित, उनकी सहमति के बिना तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित लॉकर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप हैं। सिस्टम लॉकर गतिविधियों के अपरिवर्तनीय लॉग को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। बैंक आईटी/डेटा सुरक्षा के लिए लागू

प्रासंगिक सांविधिक/विनियामक दिशानिर्देशों/आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे। इसके अलावा, बैंक इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित लॉकरों के मामले में ग्राहकों को खोए हुए पासवर्ड के बदले नया पासवर्ड जारी करने के लिए सुरक्षित रूप से एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेंगे।

3.2.3 बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि जरूरत पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लॉकर/लॉकर के स्वामित्व की पहचान को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से बैंक/शाखा का पहचान कोड सभी लॉकर की चाबियों पर अंकित हो। इसके अलावा, लॉकर का संरक्षक नियमित रूप से/समय-समय पर शाखा में रखी चाबियों की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उचित स्थिति में हैं। बैंक लॉकर धारक को केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी के साथ लॉकर संचालित करने की अनुमति देगा, हालांकि लॉकर में यदि प्रावधान हो तो ग्राहक को अपने स्वयं के अतिरिक्त पैडलॉक का उपयोग करने की अनुमति देने में कोई प्रतिबंध नहीं है।

भाग IV: लॉकर संचालन

4.1 ग्राहकों द्वारा नियमित परिचालन

4.1.1 लॉकर धारक और/या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्तियों को ही बैंक के संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी पहचान और प्राधिकरण की रिकॉर्डिंग के उचित सत्यापन के बाद लॉकर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। बैंक लॉकर धारकों सहित सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखेगा, जिन्होंने लॉकर का उपयोग किया है और जिस तारीख और समय (चेक-इन और चेक-आउट समय दोनों) पर उन्होंने लॉकर खोला और बंद किया है और उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। लॉकर धारकों या बैंक के कर्मचारियों सहित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वॉल्ट रूम में प्रवेश और निकासी रजिस्टर को रिकॉर्ड में उचित स्थान पर उनके हस्ताक्षर के साथ वॉल्ट रूम क्षेत्र में व्यक्तियों की आवाजाही को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए रखा जाएगा।

4.1.2 लॉकर धारकों को लॉकर तक पहुंचने के लिए अधिकृत करने वाला बैंक का अधिकारी, पहली चाबी/पासवर्ड को अनलॉक करने के बाद लॉकर धारक द्वारा लॉकर खोलते समय मौजूद नहीं रहेगा। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि जब कई ग्राहक एक ही समय पर लॉकर तक पहुंचें तो लॉकर धारकों के संचालन में पर्याप्त गोपनीयता हो।

4.1.3 बैंक दिन की समाप्ति से पहले ग्राहक के पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक सकारात्मक पुष्टि के रूप में एक ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजेंगे, जिसमें लॉकर के संचालन की तारीख और समय और अनधिकृत लॉकर पहुंच मामले में उपलब्ध निवारण तंत्र की सूचना दी जाएगी।

4.2 बैंकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण

4.2.1 जब भी किरायेदार द्वारा लॉकर को सरेंडर किया जाता है, तो तालों के अंतर-परिवर्तन की एक प्रणाली होनी चाहिए। खाली लॉकरों की चाबियां सीलबंद लिफाफों में रखी जाएंगी। डुप्लीकेट मास्टर चाबियां बैंक की किसी अन्य शाखा में जमा की जाएंगी। मास्टर चाबियों की संयुक्त अभिरक्षा का उचित रिकॉर्ड होना चाहिए। बैंक सरेंडर/खाली लॉकरों और उनकी चाबियों का आकस्मिक आवधिक सत्यापन बैंक के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा करायेंगे जो उनकी अभिरक्षा से संबंधित नहीं है और ऐसे सत्यापन के प्रमाण के रूप में उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा।

4.2.2 बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि लॉकर और लॉकर चाबी संबंधी रजिस्टर सीबीएस या आरबीआई द्वारा जारी साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप किसी अन्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में रखे गए हैं। आवंटन में किसी भी बदलाव के मामले में लॉकर रजिस्टर का सम्पूर्ण ऑडिटट्रेल्स के साथ उसे अपडेट किया जाएगा।

4.2.3 बैंक का अभिरक्षक यह जांच करेगा कि संचालन के बाद लॉकर ठीक से बंद किया है या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो लॉकर को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए, और लॉकर-किराए पर लेनेवाले को तुरंत ई-मेल के माध्यम से, यदि पंजीकृत है या एसएमएस के माध्यम से, यदि मोबाइल नंबर पंजीकृत है या पत्र के माध्यम से ताकि वे लॉकर की सामग्री के संबंध में किसी भी परिणामी विसंगति को सत्यापित कर सकें। बैंक का अभिरक्षक रजिस्टर में लॉकर को ठीक से बंद न करने और बैंक द्वारा इसे बंद करने के तथ्य को तारीख और समय के साथ दर्ज करेगा। इसके अलावा, लॉकर रूम का अभिरक्षक दिन के अंत में लॉकर रूम की भौतिक जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि लॉकर ठीक से बंद हैं, और बैंकिंग समय के बाद कोई भी व्यक्ति अनजाने में लॉकर रूम में फंसा नहीं है।

भाग V: नामांकन सुविधा और दावों का निपटान

5.1 नामांकन सुविधा

5.1.1 बैंककारीविनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45-जेडसी से 45-जेडएफ और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985/ सहकारी बैंक (नामांकन) नियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार बैंक सुरक्षित जमा लॉकर और वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के मामले में नामांकन सुविधा प्रदान करेंगे। यदि नामिती अवयस्क है, तो बैंकों द्वारा बैंक खातों के लिए निर्धारित समान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ग्राहक से उनके विकल्प पर नामिती के पासपोर्ट आकार की फोटो जिसे ग्राहक द्वारा सत्यापित किया गया हो, प्राप्त की जा सकती है और रिकॉर्ड में संरक्षित किया जा सकता है।

5.1.2 बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985/सहकारी बैंक (नामांकन) नियम, 1985 के तहत निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के लिए (सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई सामग्री के लिए प्रपत्रएससी1, एससी2 और एससी3 और सुरक्षा लॉकरों के लिए प्रपत्र एसएल1, एसएल1ए, एसएल2, एसएल3 और एसएल3ए) दो गवाहों द्वारा केवल अंगूठे के निशान को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी।

5.1.3 लॉकर किराएदारों द्वारा बनाई गई अपनी बहियों में नामांकन, रद्दीकरण और/या नामांकन के बदलाव को दर्ज करने के लिए अपनाई जा रही उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं बैंक की अनुमोदित नीति के अनुसार होंगी।

5.1.4 नामांकन, रद्दीकरण और/या नामांकन में परिवर्तन संबंधी विधिवत भरे हुए फॉर्म की प्राप्ति को स्वीकार करने के लिए बैंक एक उचित प्रणाली का अनुसरण करेंगे। इस तरह की पावती सभी ग्राहकों को दी जाएगी, भले ही ग्राहकों द्वारा इसकी मांग की गई हो या नहीं।

5.2 ग्राहक की मृत्यु के मामले में दावों का निपटान

5.2.1 दावों के निपटान के लिए बैंक अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति अपनायेगा। यह नीति मृत व्यक्ति के दावों के निपटान के लिए राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के मामले में नाबार्ड द्वारा तैयार एमओपी का अनुपालन किया जाएगा।

5.2.2 बैंकों के पास बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 जेडसी से 45 जेडएफ के प्रावधानों और सहकारी बैंक (नामांकन) नियम, 1985 और भारतीय अनुबंध अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार नामांकन और नामांकित व्यक्ति को सुरक्षा लॉकर / सुरक्षित अभिरक्षा लेख की सामग्री जारी करने और अन्य व्यक्तियों के दावों के नोटिस के प्रति सुरक्षा के लिए बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति अपनायेगा।

5.2.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुएं और लॉकर की सामग्री वास्तविक नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी गई है, साथ ही मृत्यु के प्रमाण को सत्यापित करने के लिए, बैंक लागू कानूनों और नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं का दावा प्रारूप अपनायेगा।

5.2.4 दावों के निपटान के लिए समय सीमा: बैंक मृत लॉकर किराएदारों के संबंध में जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण की प्रस्तुति और नामांकन के संदर्भ में दावेदार (ओं) की उपयुक्त पहचान के अधीन दावे की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों से अधिक न होने की अवधि के भीतर दावों का निपटान करेंगे और लॉकर की सामग्री को उत्तरजीवी(यों)/नामित(यों) को, जैसा भी मामला हो, सौंप देंगे।

5.2.5 बैंक मृतक लॉकर-किराएदारों / सुरक्षित अभिरक्षा लेख खातों के जमाकर्ताओं और निर्धारित अवधि से परे लंबित दावों की संख्या का विवरण, उसके कारणों सहित बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को उचित अंतराल पर, निरंतर आधार पर, रिपोर्ट करेंगे। बैंक के बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति दावों के निपटान की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देगी कि दावों का यथाशीघ्र निपटान किया जाता है जब तक कि न्यायालयों के समक्ष कोई मुकदमा लंबित न हो या नामांकन के संदर्भ में वास्तविक दावेदार की पहचान करने में कोई कठिनाई न हो।

5.3 सुरक्षित जमा लॉकरों में वस्तुओं तक पहुंच / सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामग्रियों की वापसी

5.3.1 यदि एकमात्र लॉकर किराएदार किसी व्यक्ति को लॉकर में सामग्री प्राप्त करने के लिए नामित करता है और उस एक मात्र लॉकर किराएदार की मृत्यु के मामले में, मृत्यु प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद और संपर्क किए गए ऐसे व्यक्ति की पहचान और वास्तविकता को संतुष्ट करने के बाद, बैंक ऐसे नामित व्यक्ति को निर्धारित तरीके से एक वस्तुसूची लेने के बाद, लॉकर की सामग्री को निकालने की स्वतंत्रता सहित लॉकर तक पहुंच प्रदान करेंगे। यदि लॉकर को उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त रूप से किराए पर लिया गया था और किराएदारों ने निर्देश दिया था कि लॉकर की पहुंच "या तो या उत्तरजीवी", "कोई भी या उत्तरजीवी" या "पूर्व या उत्तरजीवी" या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत अनुमतनीय किसी अन्य उत्तरजीविता खंड के अनुसार देनी चाहिए तो बैंक संयुक्त लॉकर किराए पर लेने वालों में से एक या अधिक की मृत्यु की स्थिति में इस अध्यादेश का पालन करेंगे।

5.3.2 हालांकि, बैंक नामिती /उत्तरजीवी को जमा सामग्री तक एक्सेस देने से पहले निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे:

- i. उचित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करके उत्तरजीवी (ओं) /नामांकित व्यक्ति (ओं) की पहचान और लॉकर के किरायेदार की मृत्यु के तथ्य को स्थापित करने में पर्याप्त ध्यान और सावधानी बरतें;
- ii. यह पता लगाने के लिए अथक प्रयास करें कि क्या अदालतों/फोरमों से कोई आदेश या निर्देश जारी हुआ है, जो इसे मृतक के लॉकर तक पहुंच देने से रोकता है; और
- iii. उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों) /नामित व्यक्ति (व्यक्तियों)को यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि लॉकर/सुरक्षित जमा वस्तुओं तक एक्सेस, उन्हें केवल लॉकर के मृतक किराएदार के विधिक उत्तराधिकारियों के न्यासी के रूप में दी जाती है अर्थात् उन्हें दिया गया एक्सेस उस अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगा जो किसी भी व्यक्ति के पास उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों) /नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) को तब मिलता है, जब उन्हें एक्सेस दी जाती है।

बैंक की सुरक्षित अभिरक्षित सामग्रियों को वापस लौटाने के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

5.3.3 बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि लॉकर की सामग्री, जब किसी नाबालिग नामित व्यक्ति की ओर से लौटाने की मांग की जाती है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाए, जो विधिक रूप से ऐसे नाबालिग की ओर से उक्त वस्तु को प्राप्त करने में सक्षम है। इसके अलावा, बैंक दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वस्तुओं की एक सूची तैयार करेंगे, पहला बैंक का एक अधिकारी जो लॉकर सुविधा या वस्तुओं के सुरक्षित जमा से जुड़ा हुआ नहीं है और दूसरा दावेदार (दावेदारों), जो नामिती हो सकता है या नाबालिग की ओर से वस्तु प्राप्त करने के लिए नामित व्यक्ति हो सकता है।

5.3.4 बैंक नामिती (दावेदार) या नाबालिग की ओर से वस्तु प्राप्त करने के लिए सक्षम व्यक्ति से, जो भी स्थिति हो, अलग से यह वचनपत्र प्राप्त करेगा कि लॉकर में या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी सभी सामग्री, जैसा भी लागू हो, उसने प्राप्त कर लिया है और लॉकर अब खाली है तथा बैंक द्वारा लागू मानदंडों के अनुसार किसी अन्य ग्राहक को लॉकर आवंटित करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

5.3.5 सुरक्षित जमा वस्तुओं के लॉकर के मृतक किरायेदार /जमाकर्ता के उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/नामांकित व्यक्ति (व्यक्तियों) तक एक्सेस प्रदान करते समय, जबतक नामांकन में कोई विसंगति न हो, बैंक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन पत्र या प्रोबेट आदि जमा कराने या उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/नामांकित व्यक्ति (व्यक्तियों) से क्षतिपूर्ति या जमानती का कोई बॉण्ड प्राप्त करने पर जोर देने से बचें। इस संबंध में, बैंक पैरा 5.3.2 के अंतर्गत शामिल हमारे निर्देशों पर ध्यान दें।

5.3.6 यदि लॉकर के मृतक किरायेदार ने कोई नामांकन नहीं किया था या जहां संयुक्त किरायेदारों ने किसी स्पष्ट उत्तरजीविता खंड के माध्यम से कोई अधिदेश नहीं दिया था कि जीवित बचे लोगों में से एक या अधिक लोगों तक एक्सेस दी जा सकती है, तो बैंक लॉकर के मृतक किरायेदार के विधिक उत्तराधिकारी /विधिक प्रतिनिधि तक एक्सेस को सुगम बनाने के लिए बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति अपनाएंगे। इस संबंध में, बैंक पैरा 5.3.2 के अंतर्गत शामिल हमारे निर्देशों पर ध्यान दें।

बैंक की सुरक्षित जमा वस्तुओं के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

भाग VI: लॉकर को बंद करना और उसमें रखे वस्तुओं का निपटान करना

6. यह भाग ग्राहक द्वारा अपनी मूल कुंजी अथवा पासवर्ड का प्रयोग करके सामान्य ऐक्सेस के माध्यम के अलावा किसी अन्य तरीके से लॉकर खोलने पर निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी स्थिति पर लागू होता है:

- (i) यदि किरायेदार चाबी खो देता है और अपने खर्च पर लॉकर खोलने के लिए अनुरोध करता है; अथवा
- (ii) यदि सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों ने लॉकरों को जब्त करने के लिए न्यायालय या उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के साथ बैंक से संपर्क किया है और लॉकर तक ऐक्सेस का अनुरोध किया है; अथवा
- (iii) यदि बैंक को लगता है कि लॉकर वापस लेने की जरूरत है; क्योंकि लॉकर का किरायेदार समझौते के नियम व शर्तों का पालन करने में सहयोग नहीं कर रहा है।

बैंक प्रासंगिक विधिक और संविदात्मक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी संभावित स्थितियों के लिए लॉकर खोलने के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्पष्ट नीति अपनाएंगे।

6.1 ग्राहक के अनुरोध पर लॉकर सामग्री का निपटान

6.1.1 यदि बैंक द्वारा दी गई लॉकर की कुंजी को लॉकर के किरायेदार द्वारा खो दी जाती है, तो ग्राहक (लॉकर का किरायेदार) इस संबंध में बैंक को तत्काल सूचित करेगा। ग्राहक से एक वचनपत्र भी प्राप्त किया जा सकता है कि जो कुंजी खो गई है, यदि भविष्य में मिली तो उसे बैंक को सौंप दिया जाएगा। लॉकर खोलने, ताला बदलने और खोई हुई कुंजी को बदलने के सभी खर्च किरायेदार से वसूल किए जा सकते हैं। खोई हुई कुंजियों को बदलने/नए पासवर्ड जारी करने के पर लागू शुल्कों की सूचना लॉकर के किरायेदार को दी जाएगी।

6.1.2 बैंक या उसके अधिकृत तकनीशियन द्वारा किरायेदार की उचित पहचान, लॉकर को खोलने के लिए गुमसुदगी के तथ्य की उचित रिकॉर्डिंग और ग्राहक द्वारा लिखित प्राधिकार के बाद ही लॉकर खोला जाना है।

6.1.3 यह कार्रवाई ग्राहक/ग्राहकों एवं बैंक के एक प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि आसपास के लॉकर ऐसे किसी भी परिचालन से प्रभावित न हों और लॉकर की सामग्री लॉकर तोड़ने या उसे पुनः ठीक करने की प्रक्रिया के दौरान लॉकर के किरायेदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में न आए।

6.2 किसी भी विधिक प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा लॉकर में रखे सामग्री और बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी सामग्रियों की कुर्की और वसूली

6.2.1 किसी ग्राहक के लॉकर में रखे सामग्री या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी वस्तुओं की कुर्की और वसूली के मामले में किसी न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत किसी अधिकारी द्वारा या ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश प्राप्त होने पर बैंक आदेशों के निष्पादन और कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे।

6.2.2 बैंक लॉकर में रखे सामग्री या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी वस्तुओं की कुर्की और वसूली के लिए प्राप्त आदेशों और संबन्धित दस्तावेजों को सत्यापित करेगा और इस संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा। ग्राहक (लॉकर के किरायेदार) को पत्र के साथ-साथ पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर ईमेल/एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा कि सरकारी प्राधिकारियों ने लॉकर में रखे सामग्री या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी वस्तुओं की कुर्की और वसूली या जब्ती के लिए उनसे संपर्क किया है। ऐसे सरकारी प्राधिकारियों, दो स्वतंत्र गवाहों और बैंक के एक अधिकारी की उपस्थिति में जब्त किए गए लॉकर में रखे सामग्री या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी और सभी द्वारा इसपर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उक्त सूची की एक प्रति ग्राहक को बैंक के रिकॉर्ड में उपलब्ध पते पर भेजी जाएगी या पावती के पश्चात ग्राहक को हाथ में सौंपी जा सकती है।

6.2.3 बैंक विधिक रूप से अनुमति होने की स्थिति में लॉकर तोड़ने और सूची मूल्यांकन करने की प्रक्रिया का एक वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा, और भविष्य में किसी भी विवाद या अदालत या धोखाधड़ी के मामले में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए वीडियो को संरक्षित करेगा।

6.3 लॉकर किराए का भुगतान न करने के कारण बैंकों द्वारा लॉकर सामग्री का निपटान

6.3.1 यदि ग्राहक द्वारा लगातार तीन वर्षों तक किराए का भुगतान नहीं किया गया है, तो बैंकों को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी लॉकर को खोलने का विवेकाधिकार होगा। आवंटन में किसी भी बदलाव से पहले बैंक मौजूदा लॉकर-किराएदार को सूचित करना सुनिश्चित करेगा और उसे उसके द्वारा जमा की गई वस्तुओं को वापस लेने का उचित अवसर देगा। इस आशय का एक खंड लॉकर करार में शामिल किया जा सकता है।

6.3.2 बैंक लॉकर को तोड़ने से पहले, लॉकर-किराए पर लेने वाले को एक पत्र के माध्यम से और ईमेल और एसएमएस अलर्ट के माध्यम से पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर पर उचित नोटिस देगा। यदि पत्र बिना सुपुर्दगी लौटा दिया जाता है या लॉकर-किराए पर लेने वाले का पता नहीं चलता है, तो बैंक लॉकर-किराए पर लेने वाले या किसी अन्य व्यक्ति को जो जवाब देने के लिए लॉकर की सामग्री में रुचि रखता है, उचित समय देते हुए दो समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में) में सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा। बैंक के एक अधिकारी और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में लॉकर को तोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित लॉकर (स्मार्ट वॉल्ट सहित) के मामले में, लॉकर खोलने के लिए 'वॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर' पासवर्ड का उपयोग एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाएगा और एक्सेस का पूरा ऑडिटट्रैल संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक ब्रेक ओपन प्रक्रिया का एक वीडियो भी वस्तु-सूची मूल्यांकन और उसके सुरक्षित रख-रखाव के साथ रिकॉर्ड करेंगे और भविष्य में किसी भी विवाद या अदालती मामले की स्थिति में प्रमाण प्रदान करने के लिए इसे सुरक्षित रखेंगे। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि लॉकर को तोड़ने का विवरण सीबीएस या किसी अन्य कम्प्यूटरीकृत सिस्टम में दर्ज किया गया है जो लॉकर रजिस्टर के अलावा आरबीआई द्वारा जारी साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप है। लॉकर को खोलने के बाद, सामग्री को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिसे ग्राहक द्वारा दावा किए जाने तक आग प्रतिरोधी तिजोरी के अंदर विस्तृत सूची के साथ छेड़छाड़ रहित तरीके से रखा जाएगा। अग्निरोधक तिजोरी तक पहुंच का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। लॉकर की सामग्री वापस करते समय, बैंक भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए वस्तु-सूची में ग्राहक की पावती प्राप्त करेगा।

6.3.3 बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि लॉकर को तोड़ने के बाद और दावों के निपटान के दौरान तैयार की गई वस्तु-सूची, इस परिपत्र के अंत में या परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार उसके निकटतम उपयुक्त रूपों में है। इसके अलावा, बैंक जब तक कि कानून द्वारा आवश्यक न हो अपने पास सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रखे गए या लॉकर में पाए गए पैकेटों को नामिती (यों) और जीवित लॉकर किराएदारों / सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री के जमाकर्ता को जारी करते समय नहीं खोलेंगे।

6.4 लॉकर के लंबे समय तक निष्क्रिय रहने पर लॉकर सामग्री का निपटान

6.4.1 यदि लॉकर सात साल की अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है और लॉकर के किरायेदार की अवस्थिति निश्चित नहीं है, यहां तक कि किराया नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, तो बैंक को लॉकर की सामग्री को उनके नामिती/ कानूनी उत्तराधिकारी को अंतरित या एक पारदर्शी तरीके से सामग्रियों का निपटान, जैसा भी मामला हो, करने की स्वतंत्रता होगी। लॉकर को तोड़कर खोलने से पहले, बैंक उक्त पैरा 6.3.2 और 6.3.3 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऊपर उल्लिखित उचित लंबी अवधि के लिए लावारिस छोड़ी गई वस्तुओं के निपटान के लिए उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को उनके लॉकर करार में शामिल किया गया है।

6.4.2 यदि लॉकर लंबे समय से परिचालन में नहीं है तो बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थिति को निर्दिष्ट करते हुए ग्राहक के साथ निष्पादित लॉकर करार में उपयुक्त शर्तें शामिल हैं। बैंक को दायित्व से मुक्त करने के लिए लॉकर करार में एक खंड भी शामिल किया जा सकता है कि यदि लॉकर चालू नहीं है और बैंक द्वारा लॉकर खोला जाता है और सामग्री को कानून के अनुसार और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों और करार में निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार निर्मोचित किया जाता है।

भाग VII: बैंकों के लिए मुआवजा नीति/दायित्व

7. बैंकों का दायित्व

बैंक अपनी लापरवाही के कारण लॉकरों की सामग्री को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उनके द्वारा देय जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत बैंक बोर्ड अनुमोदित नीति अपनायेगे क्योंकि बैंकों को अपने लॉकर या सुरक्षा जमा प्रणाली को बनाए रखने और संचालित करने में उचित सावधानी अपनाने हुए उक्त के देखभाल का विशिष्ट कर्तव्य है। देखभाल के कर्तव्य में लॉकर सिस्टम के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना, लॉकरों तक अनधिकृत पहुंच से बचाव करना और चोरी और डकैती के खिलाफ उचित सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, बैंक लूट, डकैती, चोरी और सेंधमारी की घटनाओं के बारे में रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए धोखाधड़ी पर बैंक अपने मास्टर निर्देशों का पालन करेंगे।

7.1 प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, आंधी, बिजली आदि से उत्पन्न होने वाली या ग्राहक की स्वयं की लापरवाही के कारण बैंकों की देयता

प्राकृतिक आपदाओं या ईश्वरीय कृत्यों जैसे भूकंप, बाढ़, बिजली और आंधी या किसी भी कार्य जो ग्राहक की एकमात्र गलती या लापरवाही के कारण होता है, से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और/या लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। तथापि, बैंक अपने परिसरों को ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए अपने लॉकर सिस्टम की उचित देखभाल करेंगे।

7.2 आग, चोरी, सेंधमारी, लूट, डकैती, इमारत ढहने जैसी घटनाओं या बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले में उत्पन्न होने वाली बैंकों की देयता

बैंकों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिस परिसर में तिजोरी रखी जाती है, उसकी सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएं। बैंक परिसर में आग, चोरी/सेंधमारी /लूट/, डकैती, इमारत ढहने जैसी घटनाएं बैंक की अपनी कमियों, लापरवाही और किसी चूक/कमीशन के कारण न हों। चूंकि बैंक यह दावा नहीं कर सकते हैं कि लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते हैं, ऐसे मामलों में जहां लॉकर की सामग्री का नुकसान ऊपर वर्णित घटनाओं के कारण होता है या इसके कर्मचारी (कर्मचारियों) द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, बैंकों की देयता सुरक्षित जमा लॉकर के मौजूदा वार्षिक किराए के सौ गुना के बराबर राशि के लिए होगा।

भाग VIII: जोखिम प्रबंधन, पारदर्शिता और ग्राहक मार्गदर्शन

8.1 शाखा बीमा नीति

बैंक, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, लॉकरों की सामग्री को प्रभावित करने वाली घटनाएं जैसे डकैती, आग, प्राकृतिक आपदाओं, शाखा के स्थानांतरण/विलय के दौरान हानि आदि के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक शाखा बीमा पॉलिसी रखेंगे।

8.2 ग्राहक द्वारा लॉकर सामग्री का बीमा

बैंक अपने लॉकर करार में स्पष्ट करेंगे कि चूंकि वे लॉकर की सामग्री या उसमें से हटाए गए या ग्राहक द्वारा रखी गई किसी भी वस्तु का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, इसलिए जोखिम जो भी हो, वे लॉकर की सामग्री का बीमा करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होंगे। बैंक किसी भी परिस्थिति में लॉकर की सामग्री के बीमा के लिए अपने लॉकर किराएदारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बीमा उत्पाद नहीं देंगे।

8.3 ग्राहक मार्गदर्शन और प्रचार

8.3.1 बैंक अपनी वेबसाइटों और/या शाखाओं (यदि आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध नहीं है) पर विभिन्न पहलुओं पर सभी नियमों और शर्तों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के साथ मॉडल लॉकर djkj को प्रदर्शित करेंगे, जहां उनके द्वारा लॉकर सुविधा प्रदान की जा रही है। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों को उन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक के नियमों और शर्तों से अवगत कराया जाए।

8.3.2 बैंक अपनी वेबसाइट पर सुरक्षित जमा लॉकरों और सुरक्षित अभिरक्षा लेखों के लिए सभी प्रकार के शुल्कों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेंगे।

8.3.3 बैंक अपनी वेबसाइट पर, मृतक लॉकर किराएदार/ सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री के नामित/उत्तरजीवी/कानूनी वारिसों को लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए निर्धारित नीतियों/प्रक्रियाओं के साथ अनुदेशों को प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा, उसी की एक मुद्रित प्रति नामांकित व्यक्ति/उत्तरजीवी/कानूनी उत्तराधिकारी को भी दी जाएगी।

8.4 बैंक/बोर्ड अनुमोदित नीतियां और एसओपी

बैंक यहां उल्लिखित संशोधित अनुदेशों के अनुसार सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा/सुरक्षित अभिरक्षा लेख पर एक व्यापक संशोधित बैंक बोर्ड से अनुमोदित नीति और एसओपी अपनायेगे।

On non-judicial stamp paper of Rs.500/- purchased in the name of Hirer(s)

Agreement for Safe Deposit Locker (Modified)

Place:.....

L.F.NO:

Dates.....

THE JAIPUR CENTRAL COOPERATIVE BANK LIMITED, carrying on the business of banking and having its Registered. Office at F-1, Nursery Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021, hereinafter called the Bank, which term shall mean and include its successors and assigns agrees to let out on hire safe deposit locker to

- (1) Shri/Smt..... son/daughter/wife of
aged about..... residing at
- (2) Shri/Smtson/daughter/wife ofaged about
residing at.....
- (3) Shri/Smt.....son/daughter/wife ofaged about
Residing at.....

hereinafter called the Hirer / Hirers, which term wherever the context so requires or admits shall include his/ her / their heirs, legal representatives, executors, administrators and assigns, agrees/agree to take on hire, following the Bank's safe vault locker No _____ in Unit (Size/Type.....) from this day at a rental amount of Rs..... per annum payable in advance. The said lease will continue at the same periodical rent or at the rent which may be decided by the bank from time to time and duly intimated to the hirer by mail or a regd. letter which shall be payable in advance on following terms and conditions.

1. The Safe Deposit Vault will remain open on all working days of the-Bank during ordinary banking hours and will remain entirely closed on all bank holidays. The Services shall not be available on half yearly/annual closing days also.
2. The hirer(s) shall have no right of property in the locker but only exclusive right of use thereof and access thereto during the period of agreement and in accordance therewith. The hirer(s) shall not be entitled to assign or sublet the locker or any part of it.
3. Locker can be hired by a person either in his / her sole name or in the name of himself / herself jointly with one or more persons. In the case of sole hirer, the hirer only, and in the case of joint hirers any one of them shall have access to the locker, unless instructions to the contrary are given in writing by all the joint hirers. Access may also be permitted to a duly appointed agent of the hirer or of joint hirers together, provided that the authority in favour of such agent is duly recorded in the books of the Bank and in the case of joint hirers such authority may be revoked by any one of them at any time.
4. Lockers shall be used only for deposit of valuables or other properties and on no account should the hirer(s) deposit any property of an explosive and destructive nature, weapons and/or any other items/things prohibited under law, in the lockers.

A hirer(s) who commits a breach of this condition will be held liable for all losses or damages which the Bank might thereby incur.

5.1 In the event of the death of one of the joint locker-hirers / depositors of safe custody articles,

- a) the right to the contents of the locker does not automatically devolve on the surviving joint locker-hirer(s), unless there is a survivorship clause,
- b) the survivors or the survivor of them according to the instructions given to the Bank by all the hirers-including the deceased and recorded by the Bank in the life time of the deceased shall be entitled, after proving such death certificate of deceased hirer to the satisfaction of the Bank to have access to the locker.
- c) the heirs or Successors of the deceased shall have no power to cancel or vary such instructions and shall not be recognised by the Bank except under the orders of a court of competent jurisdiction.

5.2 In the case of death of a sole hirer or the last survivor of the joint hirers, the Bank may permit, in the absence of nominee/s, any person or persons claiming to be his successor and whose rights have been established to the satisfaction of the Bank to inspect the contents of the locker on the production of a succession certificate in his favour to deal with the contents of the locker and be deemed to be hirer of such locker in the place of the deceased.

6. A caution deposit may be placed under the Bank's Fixed Deposit Scheme by the hirer(s) in his/her/their name(s) to such an amount, the interest on which would cover adequately the annual rent due on the locker at the time of hiring of the locker which is repayable when the locker is vacated. The key of the locker shall be returned in good condition and there shall be no arrears of rent or charges due by the hirer(s). Alternatively, the hirer(s) can, at the time of allotment, place a Fixed Deposit that would cover 3 years rent and the charges for breaking open the locker in case of an eventuality.
7. Rent for the locker is payable strictly in advance for a minimum period of one year. The Bank is entitled to revise the rent during the lease period and whenever there is such revision, the hirer(s) agrees to pay the additional rent proportionately for the unexpired period of lease from the succeeding month. The Bank reserves right of refusing access to the locker in the event of the rent not being paid when due, whether the same is demanded or not.
8. The lease of a locker will terminate at noon of the date of expiry of the lease when the hirer(s) shall deliver the key of the locker to the Bank.
9. The hirer(s) may terminate the agreement on giving to the Bank seven days' notice during the currency of lease but before the date on which the agreed period of lease terminates, of such intention and the key of the locker shall in such a case be delivered by the hirer(s) to the Bank during working hours on the day of termination of the lease. However, advance rent paid by the hirer(s) on annual basis or as per the rules of the Bank prevailing from time to time shall not be refunded proportionately for the unexpired period of lease, if any.
10. If notice as aforesaid was not given and the key was not returned, the hiring of the locker shall be considered renewed on same terms and conditions as agreed hereto but this condition is without prejudice to the rights of the Bank, accrued in the mean time.
11. Without prejudice to any remedy which the Bank may have against the hirer(s), all rights to the use of the locker shall, at the option of the Bank, be forfeited upon

nonpayment of the rent whether the same shall be demanded or not, and/or upon breach of any of the conditions hereof by the hirer(s) and the Bank shall be at liberty to break open the locker without being liable for any loss or damage caused to the contents thereby. On non-payment of annual rent for a continuous period of 3 years or more, the bank can break open the safe deposit locker after serving a 15 days written notice sent through regd. A.D. on the address (es) of the hirer(s) specifically mentioned in this agreement.

12. If the Bank decides to break open the locker, the inventory of the contents of the locker prepared by the officer of the Bank at the time of breaking open the locker shall be conclusive and binding on the hirer(s). In such cases, the Bank may at its discretion either forward the contents to the hirer to the last address recorded at the Bank, by insured post parcel or by any other means at the risk and responsibility of the hirer(s) or may remove the contents to another safe place as the Bank may think fit or/and the Bank is also at liberty to auction all or any part of the contents and appropriate the proceeds thereof towards the arrears of rent and also the cost of breaking the locker and repairs thereto.
13. If the key of the locker is lost by the hirer(s); the Bank should be notified without delay. Charges for opening, changing the lock and restoring the locker to its original condition shall be payable by the hirer(s).
14. Any work to be done to the locker shall be done exclusively by the Company authorised by the Bank.
15. The Bank will not be responsible for any damage or loss to the articles in the lockers as a result of any act or war or civil commotion or natural calamities or on account of negligence of the hirer(s) while operating the locker such as dropping down the valuables or by failing to place the valuable(s) inside the locker absentmindedly etc Hirers may, in their own interest, insure any item of value deposited in safe deposit locker with the Bank.
16. In his own interest the hirer(s) shall keep the key of the locker in a place of safety; the hirer(s) shall not divulge the number Of the locker or the password (if any given) and also shall not deliver the key to any person other than his agent with due authorisation.
17. During extraordinary contingencies like war, riots, floods etc., the Bank reserves the right of closing the safe deposit vault for such time as it may consider necessary.
18. The Bank also reserves the right of making changes in the opening and losing hours of the vault without any previous intimation except by exhibiting the sa e in the Bank's Notice Board.
19. The hirer(s) shall immediately notify the Bank of any change in his/h9r address. Any notice or communication sent by post to the last registered address oft e hirer(s) shall be considered to have been duly served.
20. The relationship between the Bank and the hirer(s) is that of a lessor and lessee and not that of a banker and customer.
21. The hirer(s) agrees to abide by such ìules and regulations / Terms and Conditions as the Bank may adopt from time to time.
22. The Bank reserves the right to terminate the lease of the locker on breach or violation _of any of these rules / Terms by the hirer(s) on giving one-month notice and also without assigning any reason.
23. When at any time of the locker units has to be shifted, the Bank would give two month's notice to the hirer(s) to vacate the lockers hired by them to enable the shifting of the locker units and reoccupy them at the new place where the locker units have been fixed up. The hirer(s) is obliged to vacate the locker within the stipulated time. If any locker is not vacated after the expiry of the notice period given, the Bank

will not be held responsible for any damage to the property kept in the locker, due to the shifting of the units.

24. The Bank reserves the right to change the terms and conditions including the rental charges during the currency of the lease period after intimating the hirer(s) through a Regd. notice.

25. In case the locker remains un-operated for more than one year, the branch shall have the right to cancel the allotment of the locker and break open the locker, if the rent becomes due for a period of three years or more.

1. 2. 3.

[Hirer(s) Signature with their name in Block letters

Signature of the Branch Manager with seal

Affix
Photograph of
the
Hirer

Affix
Photograph of
the
Hirer

Affix
Photograph of
the
Hirer

Name:

Safe Deposit Locker Policy



The Jaipur Central Co-Operative Bank Ltd., Jaipur